

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 29/03/2016

संख्या-3/एल.6-1-18/2015- /स्वा0, डा0 उमेश कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उर्दीना, बारुण, औरंगाबाद को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0)-सह-पठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : - 218 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : - 29/03/2016

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त(मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/जिलाधिकारी, औरंगाबाद/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सिविल सर्जन, औरंगाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/डा0 उमेश कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उर्दीना, बारुण, औरंगाबाद/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा-2,3 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव